

प्रेस नोट दिनांक 16.01.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, जयराम क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में दीपक कुमार थानाध्यक्ष थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 16.01.2023 को वा0सं0 2343/06 धारा 498 भादवि0 व वाद संख्या 820/2022 धारा 128 सीआरपीसी से संबंधित वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारंटी का विवरण :-

1. बृजलाल पुत्र पियारे सकिन परसिया थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर
2. शफीक अहमद पुत्र आबिद अली सकिन वर्डपुर न.12 टोला लक्ष्मीनगर थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

01. उ0नि0 श्री रमेश यादव
02. उप निरीक्षक श्री राधेश्याम राय
03. कॉन्स्टेबल शनि यादव
04. कांस्टेबल पन्नेलाल गुप्ता

प्रेस नोट दिनांक 16.01.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा दहेज हत्या में वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर अखिलेश वर्मा एवं प्रभारी निरीक्षक बलजीत कुमार राव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.01.2023 को मु0अ0सं0 11/2023 धारा 498A/304B भादवि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त गण 1.अब्दुल वहिद पुत्र अब्दुल हई उम्र करीब 19 वर्ष 2.हदीसुन निशा पत्नी अब्दुल हई उम्र करीब 55 वर्ष साकिनान करछुलिया खालसा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय सदर भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 श्री बलजीत कुमार राव थाना उसका बाजार जनपद सि.नगर।
2. उ0नि0 नन्दू गौतम थाना उसका बाजार जनपद सि.नगर।
3. का0 मनीष कुमार यादव थाना उसका बाजार जनपद सि.नगर।
4. का0 अखिलेश सिंह थाना उसका बाजार जनपद सि.नगर।
5. महिला पीआरडी लक्ष्मी मिश्रा थाना उसका बाजार जनपद सि.नगर।

प्रेस नोट- थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 16.01.2023

थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में गौरव सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 16.01.2023 को थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा वाद सं0 1194/19 अन्तर्गत धारा 504,506 से संबंधित एक नफर वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

जय राम उर्फ बब्बू पुत्र तलसी राम निवासी सागररौजा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. गौरव सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज।
02. हे0का0 रोशन अली थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थ नगर।
03. का0 विनय कुमार यादव थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थ नगर।

प्रेस नोट- दिनांक 16.01.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या के 01 आरोपी को 04 वर्ष का कठोर कारावास व रुपये 15,000 /- के अर्थदण्ड से व मारपीट के आरोप में 02 अन्य आरोपी को 01 वर्ष के कारावास से दण्डित कराया गया।

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 16-01-2023 को सत्र परीक्षण सं. 104/2013 मु.अ.सं. 158/2012 धारा 323,504,506,325,308 भा0द0वि0 थाना शोहरतगढ़ से सम्बन्धित आरोपी कुलदीप, सत्य प्रकाश व छोटक को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया। उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त कुलदीप पुत्र सत्य प्रकाश निवासी ग्राम रामापुर पोस्ट अतरी बाजार थाना कठेला समयमाता जनपद सिद्धार्थनगर को 04 वर्ष का कठोर कारावास 15,000/- के अर्थदण्ड से व सत्य प्रकाश पुत्र गायत्री प्रसाद व छोटक पुत्र सत्यप्रकाश को 01 वर्ष के कारावास से माननीय न्यायाधीश श्री अशोक कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 सिद्धार्थनगर द्वारा दण्डित किया गया। जिसमें सरकार की तरफ से पैरवी संतोष मिश्रा, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार हे0का0 वावनजीत थाना शोहरतगढ़ का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 16-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर ।

जन सहयोग द्वारा निर्मित थाना शिवनगर डिडई परिसर में भोजनालय व आर0ओ0 प्लान्ट का पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा उदघाटन किया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना शिवनगर डिडई में जन सहयोग द्वारा निर्मित भोजनालय व आर0ओ0 प्लान्ट का उदघाटन किया गया । नव निर्मित भोजनालय कक्ष के बन जाने व आर0ओ0 प्लान्ट लग जाने से पुलिस कर्मियों को मीनू के अनुसार पोषण युक्त भोजन व शुद्ध जल थाना परिसर में ही मिलेगा । इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ग्राम प्रहरियों से वार्तालाप किया गया तथा उनको ठण्ड से बचाव हेतु कम्बल का वितरण किया गया एवं निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन हेतु प्रोत्साहित किया गया । इस अवसर पर देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी बांसी, गर्वित सिंह, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक, अनुज सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना बांसी, राजेश कुमार शुक्ला, थानाध्यक्ष शिवनगर डिडई, भानु प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष खेसरहा, सुरेन्द्र कुमार पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण व अन्य सम्मानित लोग उपस्थित रहे ।

प्रेस नोट दिनांक 16-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

जनपद सिद्धार्थनगर में आपराधिक क्रिया-कलापों पर सतत निगरानी हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा 03 अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत आज दिनांक 16-01-2023 को चोरी/नकबजनी, एनडीपीएस एक्ट व आबकारी अधिनियम इत्यादि में संलिप्त 03 अभ्यस्त अभियुक्तों के आपराधिक क्रिया-कलापों पर सतत निगरानी के लिए हिस्ट्रीशीट खोली गयी। जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत हिस्ट्रीशीट खोलने, गुण्डा एक्ट में कार्रवाई, गैंग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जिसके अन्तर्गत अभियुक्त राजाराम उर्फ गोठे पुत्र चन्द्रबली गुप्ता निवासी खजुरिया थाना व जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध थाना सिद्धार्थनगर पर, जोगिन्दर उर्फ योगेन्द्र पुत्र झगरू दास निवासी ग्राम लोटन थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध थाना लोटन पर, पिन्टू मिश्रा पुत्र सच्चिदानन्द मिश्रा निवासी ग्राम खरिकवा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर पर हिस्ट्रीशीट खोली गई, जिन पर संबंधित थानों द्वारा निरंतर निगरानी रखी जायेगी।

अभियुक्त राजाराम उर्फ गोठे पुत्र चन्द्रबली गुप्ता का आपराधिक इतिहास-

- 01-मु0अ0सं0 341/2022 धारा 457,380,411 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।
 - 02-मु0अ0सं0 18/2021 धारा 457,380,411 भा0द0वि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।
 - 03- मु0अ0सं0 25/2021 धारा 457,380,411 भा0द0वि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।
 - 04- मु0अ0सं0 28/2021 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।
- अभियुक्त जोगिन्दर उर्फ योगेन्द्र पुत्र झगरू दास का आपराधिक इतिहास-
- 01-मु0अ0सं0 842/2013 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
 - 02-मु0अ0सं0 23/2014 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
 - 03-मु0अ0सं0 255/2014 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
 - 04-मु0अ0सं0 1187/2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
 - 05-मु0अ0सं0 739/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
 - 06-मु0अ0सं0 1806/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
 - 07-मु0अ0सं0 122/2022 धारा 547,380,511 भा0द0वि0 थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
 - 08-मु0अ0सं0 136/2022 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
 - 09-मु0अ0सं0 07/2022 धारा 3(3) गुण्डा अधिनियम थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

अभियुक्त पिन्टू मिश्रा पुत्र सच्चिदानन्द मिश्रा का आपराधिक इतिहास-

- 01-मु0अ0सं0 96/2013 धारा 379 भा0द0वि0 थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02-मु0अ0सं0 97/2013 धारा 380,411,413 भा0द0वि0 थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03-मु0अ0सं0 253/2013 धारा 457,380 भा0द0वि0 थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
- 04-मु0अ0सं0 254/2013 धारा 457,380 भा0द0वि0 थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
- 05-मु0अ0सं0 135/2020 धारा 188,169,270 भा0द0वि0 व 3 महामारी एक्ट थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 16.01.2023 थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर

महिला मिशन शक्ति जागरूकता अभियान तथा साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री हरिश चन्द्र क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री राहुल सिंह यादव थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 16.01.2023को महिला बीट पुलिस अधिकारी म0का0 प्रियंका व म0का0 रविता यादव द्वारा ग्राम बरदहा नानकार में बालिकाओं और महिलाओं को एकत्रित कर उनके सम्मान एवं स्वालंबन मिशन शक्ति अभियान के दृष्टिगत सरकार द्वारा चलाये गये मिशन शक्ति अभियान एवं महिला सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओ, सुरक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य एवं महिला सम्बन्धी अधिकारो के बारे जानकारी दी गयी और शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन न0 -112,181,1076,1090,1098,102,108,आदि के बारे में भी बताया गया तथा 1930 साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी गई।

प्रेस-नोट दिनांक 16.01.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्कवाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर नव युवकों, महिलाओं और लड़कियों को महिला सुरक्षा व मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी दी गई तथा मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही हेतु चेकिंग की गयी।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 16.01.2023 को शक्ति मोबाइल/प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर के उद्यान पार्क, तेतरी बाजार, रेलवे स्टेशन, सिद्धार्थ तिराहा, स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गयी।

एण्टी रोमियो टीम का विवरण-

- 01- महिला उ0नि0 पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02- आरक्षी राकेश यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 16-01-2023

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 04 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 16-01-2023 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 06 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 04 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है , 04 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष मीरा चौहान, म०हे०मु० सबिता सिंह, म० आ०प्रियम्बदा सिंह , म० आ० अनिशा सरोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।-

निस्तारित पत्रावली का विववण-

1. कुमकुम पत्नी विशाल साकिन कोल्हई थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2.स्वाती चौधरी पत्नी रामप्रसाद साकिन तुरकौलिया थाना शिवनगर डिड़ई जनपद सिद्धार्थ नगर ।
- 3.शशिकला पत्नी कन्हैया साकिन मऊ थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थ नगर ।
- 4.सुनीता पत्नी विजय कुमार साकिन थरौली थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थ नगर ।